:: सूचना ::

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक उ.प्र.प्रा.वि./रा0प्र0प0/2009/1586 दिनांक 04/11/2009 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खण्डपीठ में योजित रिट पिटीशन सं0 55846/2009 (मानसिंह राजभर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं 56716/2009 (प्रदीप कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के कम में काउन्सिलिंग समिति की दिनांक 03/11/2009 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के दौरान आवंटित सीट पर पठन पाठन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनका प्रवेश/पंजीकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णयानुसार मान्य/प्रभावी होगा।

1. श्री मानसिंह राजभर पुत्र श्री सुरज नाथ राजभर
2. श्री बब्लू प्रसाद पुत्र श्री भोला प्रसाद
3. श्री राहुल कुमार साहनी पुत्र श्री राजेश कुमार साहनी
4. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मुन्नी लाल राजभर

अतः उपरोक्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के कम में शैक्षिक अनुभाग में अविलम्ब सम्पर्क कर, संस्थान शुल्क जमा कर पंजीकरण/प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। पंजीकरण में किसी विलम्ब के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(आर0के0 खितौलिया)
निदेशक

कार्यालय निदेशक
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर – 208 002

सं0: 402/शैक्षिक/2009–10 दिनांक: 07/11/2009

प्रतिलिपि :

1. समस्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से एवं उनके स्थायी पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से।
2. सिस्टर मैनेजर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस अपेक्षा के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।
3. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे कृपया निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
4. सूचना पट्ट, शैक्षिक अनुभाग, एच0बी0टी0आई0 कानपुर।

7/11/09
(ओंकार सिंह)
अधिष्ठाता, शैक्षिक किया कलाप